न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – महीपाल सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नंबरः– 240 / 2021 प्रार्थनापत्र

अनवान

हजारी पुत्र रामा बलाई आयु व्यस्क निवासी सुलिया तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा – प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा– विपक्षी

उपस्थित

1. श्री मुकेश सिंह तॅवर — अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक 22.02.2022

प्रार्थी ने एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया कि सरहद सुलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के साबिक आराजी नं0 828, 843 कुल किता 2 रकबा 3.10 बीघा भूमि स्थित होकर प्रार्थी हजारी पिता रामा जाति बलाई के नाम आवंटन हुई। जिसके नवीन बंदोबस्त में आराजी नंबर 1879 / 828, 1880 / 843 कुल किता 2 रकबा 0.8852 हैक्टयर कायम हुए, जिसमें लिपिकीय त्रुटि से हजारी पिता रामा के बजाय हजारी पिता गंगाराम अंकित हो गया। राजकीय दस्तावेज व अन्य खातें में प्रार्थी का नाम हजारी पिता रामा बलाई ही अंकित है। प्रार्थी द्वारा नाम शुद्धि हेतु कई मर्तबा विपक्षी से निवेदन किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद सुलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नया खाता संख्या 262 में अंकित काश्तकार का नाम हजारी पुत्र गंगाराम जाति बलाई की बजाय हजारी पुत्र रामा जाति बलाई करने की इस्तदुआ की ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी पेरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसे शामिल फाईल कर प्रति अधिवक्ता प्रार्थी को दिलाई गई।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए पेरोकार सरकार के जबाव अनुसार आपत्ति नहीं होने से सरहद सुलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नया खाता संख्या 262 में अंकित काश्तकार का नाम हजारी पुत्र गंगाराम जाति बलाई की बजाय हजारी पुत्र रामा जाति बलाई करने का निवदेन किया। पेरोकार सरकार के जवाब (डी0डब्ल्यु–1) के अनुसार ग्राम सुलिया के आराजी नं0 828, 843 में 3.10 बीघा भूमि हजारी पिता रामा जाति बलाई के नाम आवंटन हुई एवं सिपुर्दगी भी हजारी पिता रामा के नाम से की गई थी। हाल जमाबंदी संवत 2076–79 के खाता संख्या 262 में आराजी नंबर 1879/828, 1880/843 कुल किता 2 रकबा 0.8852 हैक्टयर हजारी पिता गंगाराम बलाई के नाम दर्ज है को हजारी पिता रामा बलाई के नाम दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने से एवं प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 13 के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद सुलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तह0 करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नया खाता संख्या 262 में अंकित काश्तकार का नाम हजारी पुत्र गंगाराम जाति बलाई की बजाय हजारी पुत्र रामा जाति बलाई करने के आदेश दिए जाते है। राजस्व रेकार्ड़ में तद्नुसार संशोधन किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:29:20 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी पदेन
(महीपाल सिंह)
सहायक कलक्टर करेड़ा
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा